जविप्रा बनाम सुरज्ञान देवी व अन्य
प्रकरण संख्या : 146/2021 (सीआईएस संख्या : 188/2021)

दिनांक :– 08.06.2026

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तागण सुरज्ञान देवी व कल्पना शर्मा ने हाजा न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया, जिसपर अभियुक्तागण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तागण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री चन्द्रहास सिंह जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तागण की ओर से प्रस्तुत जमानत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि अभियुक्तागण 30,000/– राशि की जमानत व इसी कदर राशि स्वयं का मुचलका पेश करे, तो जमानत पर रिहा रहें, अन्यथा जेसी भेजा जावे। तत्पश्चात् अभियुक्तागण ने 30,000/– राशि की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश किया, जो बाद जाँच न्यायालय तस्दीक किये गये। शामिल पत्रावली रहे। अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किया गया। अभियुक्तागण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। अभियुक्तागण ने प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना चाहा। पत्रावली वास्ते पेश करने प्रतिरक्षा साक्ष्य दिनांक 10.06.2026 को पेश हो।

(मोनिका खीचड़)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2,
(विशिष्ठ न्यायालय) जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर।